म0प्र0 शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

कमांक/F-11-7/नियम/2016 भोपाल दिनांक 4 जुलाई,2016

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय :– सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफंड करने की प्रकिया।

प्रदेश के कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण अनुक्रम में उपलब्ध सायबर कोषालय सुविधा में शासन के पक्ष में जमा होने वाली समस्त प्रकार की छोटी–बड़ी शासकीय धनराशि सॉयबर कोषालय से जमा की जा सकती हैं। ऐसे जमाकर्ता जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है अथवा जो राशियॉ नगद जमा करना चाहते है, विभागीय अधिकारी के माध्यम से अथवा एम.पी. ऑन लाइन कियोस्क सेंटर के माध्यम से कियोस्क शुल्क भुगतान के साथ राशि जमा कर सकते हैं। अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि भौतिक चालान से राशियॉ जमा करने की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त की जाए।

2– सायबर कोषालय से जमा की प्रकिया अधिक सुविधाजनक प्रमाणित हुई है। अतः अब सॉयबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफंड करने हेतु निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं–

(1) दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के पश्चात् रू0 10,000/– से अधिक की राशियॉ भौतिक चालान से जमा नहीं की जा सकेंगी।

(2) विभागीय साफ्टवेयर में जमाकर्ता को संबंधित जिले एवं एसेसमेंट अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी भरने की अनिवार्यता होगी जो विभाग, विभागीय साफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं एवं उनके विभागीय साफ्टवेयर में यह व्यवस्था नहीं है, तो विभाग 30 सितम्बर, 2016 तक यह व्यवस्था विकसित करने की कार्यवाही करें।

(3) जो विभाग सॉयबर कोषालय के माध्यम से गेट –वे का उपयोग न करते हुए सीधे किसी बैंक का गेट–वे उपयोग कर रहे हैं, (जैसे परिवहन, वाणिज्य कर आदि) वे विभाग 01 अप्रैल, 2017 से अनिवार्यतः सॉयबर कोषालय के माध्यम से

पेमेंट गेट–वे का उपयोग करेंगे। इस हेतु विभाग द्वारा आवश्यक इंटीग्रेशन **IFMIS** साफ्टवेयर के अंतर्गत सायबर कोषालय से किया जायेगा।

(4) जमाकर्ता द्वारा जिस जिले के लिए राशि जमा की गई है, उस जिले के जिला कोषालय अधिकारी द्वारा राजस्व वापसी की जा सकेगी । यदि किसी जिलें में एक से अधिक कोषालय है, तो उस कोषालय में राजस्व वापसी हेतु देयक प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिससे संबंधित विभाग के आहरण अधिकारी द्वारा अन्य आहरण किए जाते हैं।

(5) कोषालय अधिकारी चालान के सत्यापन के लिए सॉयबर कोषालय में जमा चालान के विवरण का उपयोग करेगा।

(6) यदि जमाकर्ता द्वारा राशि जमा करते समय जिलों का चयन नहीं किया जा सका है, तो ऐसे चालानों के विरुद्ध भी वापसी भुगतान **(Refund)** उस कोषालय पर हो सकेगा जिस कोषालय पर विभागीय आहरण अधिकारी के माध्यम से देयक प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु विभागीय अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि प्रस्तुत चालान के विरुद्ध किसी और कोषालय पर वापसी हेतु देयक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(7) इन निर्देशों के जारी होने के पूर्व जमा हुए समस्त चालानों के लिए भी समान प्रकिया अपनाई जायेगी ।

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव,
म0प्र0 शासन,
वित्त विभाग,

पृ0कमांक / F-11-7/2016 / बि / चार   भोपाल, दिनांक 4 जुलाई,2016

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम / द्वितीय, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2– रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय जबलपुर।
3– उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म0प्र0भोपाल।
4– उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया म0प्र0भोपाल।
5– उप महाप्रबंधक इलाहाबाद बैंक म0प्र0भोपाल।
6– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
7– समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
म0प्र0 शासन,
वित्त विभाग,